

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उचित भवन/सूक्ष्मछाट के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) विद्युत् की व्यवस्था का विवाद (व्यक्तिगत, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नकशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणी जेसल आवासीय प्रोजेक्ट
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 661 दिनांक 04/08/2020

प्राणी सुरेश कुमार काम ठाठ श्री राजपट लाल चौडान

ने राजस्थान नगर पोलिस अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8019/- प्राप्त

जसिसे रसाद संख्या 3067/223/229

दिनांक 04/08/2020 को जमा करा दी है ।

04/08/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

6377850171